जिलाधिकारीसहा0कले0प्रथम श्रेणी,खैर, अलीगढ।

T201718260 // 2ॅ6 | अर्न्तगत धारा– 80–राज0संहिता–2006
–घरवरा | परगना टप्पल तह0खैर जिला अलीगढ।

श्रीमती शकुन्तला देवी बनाम सरकार

नकल आदेश

प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 80 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत प्राथीर्या श्रीमती शकुन्ला देवी पत्नी सजय कुमार शर्मा प्रवन्धक गुलावो देवी मैमोरियल डिग्री कालेज लालपुर रोड घरवरा निवासी घरवरा परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार खैर की जॉच आख्या दिनांक 27.05.2017 के आधार पर योजित हुआ। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि ग्राम घरवरा के खाता सं0 78 गाटा सं0 3402 रकवा 0.645है0 लगान 16.75 रूपये हैं। उक्त गाटा में कोई कृषि कार्य आदि नहीं हो रहा हैं। उक्त भूमि में कुक्कट पालन व मत्स्य पालन व बागवानी के प्रयोग में नहीं आ रही हैं जिसे व्यवसायिक प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किये जाने की प्रार्थना की गयी हैं।

उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार खैर ने अपनी आख्या दि0 27.05.2017 प्रस्तुत की हैं जिसमें उल्लेख किया गया हैं कि ग्राम घरवरा के खाता सं0 78 गाटा सं0 3402 रकवा 0.645है0 लगान 16.75 रूपये हैं। प्रार्थी के द्वारा मौके पर व्यावसायिक प्रयोजन हेतु निर्माण किया गया है उक्त गाटा में कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा हैं। उक्त भूमि में कुक्कट पालन व मत्स्य पालन व बागवानी के प्रयोग में नहीं आ रही हैं जिसे अकृषिक हेतु प्रख्यापन किये जाने हेतु सम्प्रेषित की गयी हैं।संलग्न जोत चकवन्दी आकार पत्र 41–45 के अनुसार प्रश्नगत भूमि सुरक्षित भूमि नही है एवं किसी योजना में प्रस्तावित नही है। प्रार्थी द्वारा राजस्व संहिता–2016 के नियमाावली 85 के अन्तर्गत धारा 80 के उपधारा (2) के अनुसार प्रार्थी द्वारा मु0 37500/– भारतीय स्टेट, बैक, खैर में चालान सं0 के–132557के द्वारा दि0 30.05.2017 को जमा किये जा चुके है जिसका चालान पत्रावली पर संलग्न है। मौके पर व्यावसायिक प्रयोजन हेतु निर्माण है जिससे धारा 80(4) के कम में कोई सार्वजनिक न्यूसेन्स होने की सम्भवना नही है एवं सार्वजनिक व्यवस्था ,सार्वजनिक स्वास्थ्य ,सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की सम्भावना नही है। प्रार्थी द्वारा अपने वयान में प्रश्नगत भूमि में कृषि कार्य न करने एवं निर्माण कार्य पूरा हाने पर औद्यौगिक कार्य के प्रयोग करने का कथन किया गया है।

उपरोक्त विश्लेषण एवं तहसीलदार खैर की आख्या दि0 27.05.2017 के आधार पर ग्राम घरवरा के खाता सं0 78 गाटा सं0 3402 रकवा 0.645है0 लगान 16.75 रूपये भूमि को व्यवसायिक प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किया जाता हैं। आदेश की एक प्रति तहसीलदार खैर को राजस्व अभिलेखों में अमल भेजी जाये। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

–Sd– 31/5/2017

(पी0डी0गुप्ता)
उप जिलाधिकारी,
खैर।

दिनांकः– 31·5·2017

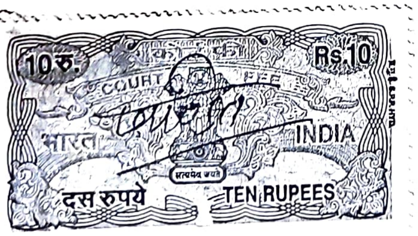

05/6/17
06/6/17
06/6/17